

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 512]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 25 नवम्बर 2011—अग्रहायण 4, शक 1933

विधान सभा सचिवालय मध्यप्रदेश

भोपाल, दिनांक 25 नवम्बर 2011

क्र. 24501-वि.स.-विधान-2011.—मध्यप्रदेश विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियम-59 के अधीन अध्यक्ष महोदय ने मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक-4) विधेयक, 2011 (क्रमांक 39 सन् 2011) को उससे संबद्ध उद्देश्यों एवं कारणों के विवरण सहित मध्यप्रदेश के राजपत्र में प्रकाशित करने का आदेश दिया है. तदनुसार यह विधेयक तथा उद्देश्यों और कारणों का विवरण जनसाधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है.

राजकुमार पाण्डे
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

मध्यप्रदेश विधेयक

क्रमांक ३९ सन् २०११

मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक- ४) विधेयक, २०११

वित्तीय वर्ष २०११-२०१२ की सेवाओं के लिए मध्यप्रदेश राज्य की संचित निधि में से कतिपय और राशियों के संचय तथा विनियोग को प्राधिकृत करने के लिए विधेयक.

भारत गणराज्य के बासठवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

१. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक-४) अधिनियम, २०११ है.

संक्षिप्त नाम.

२. मध्यप्रदेश राज्य की संचित निधि में से, अनुसूची के कॉलम (३) में विनिर्दिष्ट राशियों से अनधिक वे राशियां, जिनका कुल योग तीन हजार पांच सौ नब्बे करोड़ ग्यारह लाख सन्तानबे हजार रुपये होता है, उन विभिन्न प्रभारों को चुकाने के लिए, जो अनुसूची के कॉलम (२) में विनिर्दिष्ट सेवाओं और प्रयोजनों की बाबत वित्तीय वर्ष २०११-२०१२ के दौरान दिये जाने होंगे, दी और उपयोजित की जा सकेगी.

वित्तीय वर्ष २०११-२०१२ के लिये राज्य की संचित निधि में से ३५,९०,११,९७,००० रुपयों का दिया जाना.

३. इस अधिनियम द्वारा मध्यप्रदेश राज्य की संचित निधि में से दी जाने और उपयोजित किये जाने के लिए प्राधिकृत राशियां, उक्त वर्ष के संबंध में अनुसूची में वर्णित सेवाओं और प्रयोजनों के लिए विनियोजित की जाएंगी.

विनियोग.

अनुसूची
(धारा २ और ३ देखिये)

(१) अनुदान का संख्यांक	(२) सेवायें और प्रयोजन	(३) निम्नलिखित से अनधिक राशियां		
		विधान सभा द्वारा अनुदत्त रुपये	संचित निधि पर भारत रुपये	योग रुपये
०१.	सामान्य प्रशासन	राजस्व ७,१५,५८,०००	२,०७,०५,०००	९,२२,६३,०००
०२.	सामान्य प्रशासन विभाग से संबंधित अन्य व्यय	राजस्व ९,००,००० पूंजी ३,८९,००,०००	० ०	९,००,००० ३,८९,००,०००
०३.	पुलिस	राजस्व ५,९३,४५,१०० पूंजी ३,२५,००,१००	० ०	५,९३,४५,१०० ३,२५,००,१००

(१)	(२)	(३)	
		रुपये	रुपये
०४. गृह विभाग से संबंधित अन्य व्यय	राजस्व	१,५३,७५,३००	०
	पूंजी	६०,००,०००	०
०६. वित्त	राजस्व	२००	१,००,०००
			१,००,२००
०७. वाणिज्यिक कर	राजस्व	६०,००,००,०००	०
	पूंजी	७०,००,०००	०
०८. भू-राजस्व तथा जिला प्रशासन	राजस्व	६,६२,११,०००	६,५०,०००
			६,६८,६१,०००
०९. राजस्व विभाग से संबंधित व्यय	राजस्व	९६,१९,०००	०
			९६,१९,०००
१०. वन	राजस्व	६९,२५,००,०००	०
			६९,२५,००,०००
११. वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार	राजस्व	५८,८६,१७,५००	१,२६,००,०००
			६०,१२,१७,५००
१२. ऊर्जा	राजस्व	१,२६,३५,००,०००	०
	पूंजी	६,५०,००,००,०००	०
१३. किसान कल्याण तथा कृषि विकास	राजस्व	७६,९८,७२,०००	०
			७६,९८,७२,०००
१४. पशुपालन	राजस्व	५,१३,६९,०००	२५,५०,०००
			५,३९,१९,०००
१५. अनुसूचित जाति उपयोजना अन्तर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	राजस्व	८,७३,३४,०००	०
			८,७३,३४,०००
१६. मछली पालन	राजस्व	१४,५३,१०,०००	०
			१४,५३,१०,०००

(१)	(२)	(३)	
		रुपये	रुपये
१७. सहकारिता	राजस्व	१,०७,७०,९२,०००	०
	पूंजी	१,८५,०५,००,०००	०
१९. लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	राजस्व	६७,६३,१२,८००	०
	पूंजी	१,००,०००	०
२०. लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	राजस्व	८०,००,०००	०
	पूंजी	४२,५०,००,२००	०
२१. आवास एवं पर्यावरण	राजस्व	४,७७,०५,०००	०
	पूंजी	१,९५,२४,०००	०
२२. नगरीय प्रशासन एवं विकास- नगरीय निकाय	राजस्व	२,९७,२९,७००	०
२३. जल संसाधन	राजस्व	१७,२२,००,०००	०
	पूंजी	१,१०,१५,००,०००	०
२४. लोक निर्माण कार्य-सड़कें और पुल	राजस्व	२,४०,२२,००,०००	०
	पूंजी	१,००,००,००,०००	७०,००,००,०००
२५. खनिज साधन	राजस्व	२०,००,०००	६२,४४,८५,५००
			६२,६४,८५,५००
२६. संस्कृति	राजस्व	५,५९,४१,७००	०
			५,५९,४१,७००
२७. स्कूल शिक्षा (प्रारंभिक शिक्षा)	राजस्व	५,००,०००	०
			५,००,०००
२८. राज्य विधान मंडल	राजस्व	१,९८,०००	०
			१,९८,०००
२९. विधि और विधायी कार्य	राजस्व	१२,३९,५३,१००	१,५६,२८,१००
			१३,९५,८१,२००

(१)	(२)	(३)	
		रुपये	रुपये
३०. ग्रामीण विकास	राजस्व	५०,००,००,०००	०
	पूंजी	१०,००,००,०००	०
३१. योजना, आर्थिक और सांख्यिकी	राजस्व	६६,३३,०००	०
			६६,३३,०००
३३. आदिम जाति कल्याण	राजस्व	२,३१,२७,०००	०
			२,३१,२७,०००
३४. सामाजिक न्याय	राजस्व	१,००,००,१००	०
			१,००,००,१००
३७. पर्यटन	राजस्व	९,६५,०२,०००	०
			९,६५,०२,०००
३८. आयुष	राजस्व	५१,३५,४००	०
	पूंजी	२,००,००,०००	०
			२,००,००,०००
३९. खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण	राजस्व	१,१७,७८,४६,२००	०
			१,१७,७८,४६,२००
४०. जल संसाधन विभाग से संबंधित व्यय—आयाकट	राजस्व	१,००,००,००,०००	०
			१,००,००,००,०००
४१. आदिवासी क्षेत्र उपयोगना	राजस्व	७९,१४,६०,८००	०
	पूंजी	९२,४७,७१,१००	०
			९२,४७,७१,१००
४२. आदिवासी क्षेत्र उपयोगना से संबंधित लोक निर्माण कार्य—सड़कें और पुल	पूंजी	२५,००,००,२००	०
			२५,००,००,२००
४३. खेल और युवक कल्याण	राजस्व	२३,९६,०४,०००	०
	पूंजी	४,३८,००,०००	०
			४,३८,००,०००

(१)	(२)	(३)	
		रुपये	रुपये
४४.	उच्च शिक्षा	राजस्व ६०,००,०००	० ६०,००,०००
४५.	लघु सिंचाई निर्माण कार्य	राजस्व ४,५०,००,००० पूंजी १,१५,००,०५,९००	० ४,५०,००,००० ० १,१५,००,०५,९००
४६.	विज्ञान और टेक्नालॉजी	राजस्व १,०४,३३,००० पूंजी ५०,००,०००	० १,०४,३३,००० ० ५०,००,०००
४७.	तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास	राजस्व ३९,१३,०३,००० पूंजी २४,६३,६७,०००	० ३९,१३,०३,००० ० २४,६३,६७,०००
४८.	नर्मदा घाटी विकास	पूंजी ५,३२,००,०००	० ५,३२,००,०००
४९.	अनुसूचित जाति कल्याण	राजस्व १,२३,७९,०००	० १,२३,७९,०००
५०.	उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण	राजस्व ७,५९,९८,५००	० ७,५९,९८,५००
५१.	धार्मिक न्यास और धर्मस्व	राजस्व ३,८६,०००	० ३,८६,०००
५२.	आदिवासी क्षेत्र उपयोजना के अन्तर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	राजस्व ४१,३८,३४,०००	० ४१,३८,३४,०००
५४.	कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा	राजस्व १५,१०,००,०००	० १५,१०,००,०००
५५.	महिला एवं बाल विकास	राजस्व ८१,८०,००,००० पूंजी ४,००,०००	० ८१,८०,००,००० ० ४,००,०००

(१)	(२)	(३)	
		रुपये	रुपये
५६.	ग्रामोद्योग	राजस्व १००	० १००
५८.	प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखाग्रस्त क्षेत्रों में राहत पर व्यय	राजस्व ५,००,००० पूँजी २२,५०,०००	० ५,००,००० ० २२,५०,०००
६०.	जिला परियोजनाओं से संबंधित व्यय	राजस्व २,५९,०००	० २,५९,०००
६३.	अल्पसंख्यक कल्याण	राजस्व १,०७,००,००० पूँजी १,१२,५०,०००	० १,०७,००,००० ० १,१२,५०,०००
६४.	अनुसूचित जाति उपयोजना	राजस्व ४८,४८,७२,४०० पूँजी १,६२,७८,५२,३००	० ४८,४८,७२,४०० ० १,६२,७८,५२,३००
६५.	विमानन	राजस्व ३,५१,५०,०००	० ३,५१,५०,०००
६७.	लोक निर्माण कार्य—भवन	राजस्व ३१,३७,००,००० पूँजी ५,००,००,०००	० ३१,३७,००,००० ० ५,००,००,०००
६९.	सूचना प्रौद्योगिकी	राजस्व १,००,००,००० पूँजी १००	० १,००,००,००० ० १००
७२.	भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास	राजस्व ६,९३,८४,००० पूँजी १,००,००,०००	० ६,९३,८४,००० ० १,००,००,०००
७३.	चिकित्सा शिक्षा	राजस्व ४,६४,४२,०००	० ४,६४,४२,०००
७४.	त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	राजस्व ८१,३२,६०,०००	० ८१,३२,६०,०००

(१)	(२)	(३)			
		रुपये	रुपये	रुपये	
७५.	नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता	राजस्व	१,०२,८८,२३,३००	८६,००,००,०००	१,८८,८८,२३,३००
७७.	स्कूल शिक्षा विभाग से संबंधित अन्य व्यय (प्रारंभिक शिक्षा को छोड़कर)	राजस्व	५८,०९,८१,०००	२५,००,०००	५८,३४,८१,०००
योग :		राजस्व	१८,१८,६०,५७,२००	१,५३,९२,१८,६००	१९,७२,५२,७५,८००
		पूंजी	१५,४७,५९,२१,२००	७०,००,००,०००	१६,१७,५९,२१,२००
वृहद योग :			३३,६६,१९,७८,४००	२,२३,९२,१८,६००	३५,९०,११,९७,०००

उद्देश्यों और कारणों का कथन

यह विधेयक भारत के संविधान के अनुच्छेद २०५ के साथ पठित अनुच्छेद २०४(१) के अनुसरण में मध्यप्रदेश राज्य की संचित निधि में से उस धन के विनियोग का उपबंध करने हेतु पुरःस्थापित किया जा रहा है, जो वित्तीय वर्ष २०११-२०१२ के लिए मध्यप्रदेश राज्य की संचित निधि पर भारित अनुपूरक व्यय और मध्यप्रदेश सरकार के व्यय के लिए विधान सभा द्वारा किए गए अनुदानों की पूर्ति करने के लिए अपेक्षित है।

२. अतः यह विधेयक प्रस्तुत है।

भोपाल :

तारीख : २३ नवम्बर, सन् २०११

राघवजी

भारसाधक सदस्य.

“संविधान के अनुच्छेद २०७ के अधीन राज्यपाल द्वारा अनुशंसित.”

राजकुमार पांडे
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.